

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2016 ग्राम पंचायत बोरवा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(मूलसिंह राजावत पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत बोरवा

प्रकरण सं. - 32/2012 रे0वा0

निर्णय दिनांक - 09.05.2016

अनवान

1. रमेशसिंह पुत्र लाला मेहरात
2. श्रीमति गोमी पुत्री लाल मेहरात जाति मेहरात निवासी बोरवा तहसील भीम

वादी

बनाम

1. अजमाल पुत्र लाला
2. मोटा (नजीर) पुत्र लाला
3. बालु पुत्र लाला
4. पुनमसिंह पुत्र रामसिंह
5. विरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह
6. आनन्दसिंह पुत्ररामसिंह
7. कालु पुत्र हीरा
समस्त जाति मेहरात निवासी बोरवा तहसील भीम
8. भंवरु पुत्र सरदारा
9. काना पुत्र सरदारा
10. सुरेन्द्र पुत्र सरदारा
11. मंगला पुत्र सरदारा
समस्त जाति मेहरात निवासी बोरवा तहसील भीम
12. रामा पुत्र पदमा
13. सम्मा पुत्र पदमा
14. अब्दुल पुत्र पदमा
15. सायर पुत्र पदमा
16. योगेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह
17. जुरी बेवा देवीसिंह
18. विरेन्द्रसिंह पुत्र मिश्रु
19. सुरज पुत्र मिश्रु
20. श्रीमति मेहपुरी बेवा मिश्रु
21. कालु पुत्र अहमदा
22. हरि पुत्र अहमदा
23. दयाल पुत्र अहमदा
24. कचरु पुत्र अजमाल
25. श्रीमति गीता पत्नी अजमाल
26. नवाब पत्नी अहमदा
27. प्रफुल कुमार पुत्र मिठु
28. भंवर पुत्र मिठु
29. अरविन्द पुत्र मिठु
30. अजमाल पुत्र मिठु
31. श्रीमति हप्पी बेवा मिठु
32. श्रीमति मेथी बेवा हजारी
33. रोशनी बेवा हजारी
34. मोहन पुत्र हजारी
35. भंवरु पुत्र बाबु पुत्र रूपा
36. बिदामी पुत्री बाबु पुत्री रूपा
37. रूकमा पुत्री बाबु पुत्री रूपा
38. हीरा पत्नी बाबु पुत्र रूपा
39. रहमति पुत्री बाबु पुत्र रूपा
40. रेखा पुत्री बाबु पुत्र रूपा
41. सायर पुत्र रूपा
42. रामसिंह पुत्र हीरासिंह
43. कालुसिंह पुत्र हीरासिंह

44. किशोर पुत्र बीजा
45. महेन्द्र पुत्र बीजा
46. कोयली बेवा बीजा
47. छोटु पुत्र मिठु
48. नैना पुत्र मिठु
49. केदार पुत्र मिठु

समस्त जाति मेहरात निवासी बोरवा प्रतिवादी संख्या 38 नाबाली जरिये माता श्रीमति कोयली बेवा बीजा निवासी बोरवा

50. बहादुरा पुत्र राजु
51. माना पुत्र लाडु
52. मोती पुत्र दुला
53. सवाई पुत्र दुला
54. डंगा पुत्र मोती
55. कमरु पुत्र शमशेर
56. भीमा पुत्र शमशेर
57. भंवरु पुत्र शमशेर
58. कान्हा पुत्र शमशेर
59. श्रीमति रोशनी पत्नी इस्माइल पुत्र सवाई
60. बबलु पुत्र इस्माइल पुत्र सवाई
61. राकेश पुत्र इस्माइल पुत्र सवाई
62. मन्जु पुत्री इस्माइल पुत्र सवाई
63. अन्नु पुत्री इस्माइल पुत्री सवाई
64. प्रभु पुत्र सवाई
65. दीना पुत्र सवाई

समस्त जाति मेहरात निवासी बोरवा तहसील भीम

66. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम
67. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर राजसमन्द ।

प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आरटीए

यह कि मौजा बोरवा पटवार हल्का बोरवा तहसील भीम जिला राजसमन्द में निम्न विवादित आराजियात जो कि निम्न हैं -

खसरा नम्बर	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
1996	1	05	0	बा01
2466	0	04	0	बा02
2467	0	03	0	बा02
2468	0	03	0	चाह ।
2469	0	01	10	चाह ।
2470	4	03	0	बंजड
2475	1	17	0	बंजड
2476	0	03	0	बा02
2477	1	02	0	चाह ।
3457	00	06	05	बारानी 1
कुल किता 9 रकबा 9 बीघा 1 विस्वा 10 विस्वांसी				

ख - जमाबंदी सन्वत 2065 - 2068 के अनुसार

2484 0-03-0

किस्म गो.मु.चाह

ग - जमाबंदी सन्वत 2065-2069 के अनुसार

खसरा स0

रकबा

किस्म

2642

1-02-0

गो.मु.चाह

2- यह कि वाद मे की कार्यवाही को सरल तरीके मे समझा जाने के अनुसार वादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार से हैं -

लाला पुत्र दुला जाति मेहरात (फौत)

अजमाल पुत्र उम्र 58	गोमी पुत्री उम्र 54	मोटा पुत्र उम्र 52	रमेश पुत्र उम्र 50	बालु पुत्र उम्र 48
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

वाद के पैरा संख्या 1 मे वर्णीत खण्ड क के तहत वादीगण व प्रतिवादीगण संख्य 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा जिसमे 1/3 के तहत प्रत्येक का 1/5 हिस्सा अर्थात वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा तथा इसी प्रकार प्रत्येक प्रतिवादी का 1/5 हिस्सा है जो कि खण्ड क की भूमियों मे 1/3 के हिस्से में से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा हैं। शेष जमाबन्दी के अनुसार हिस्सा हैं। जमाबन्दी में नजीर नाम जो भी दर्शा रखा गया हैं इस नजीर का नाम ही मोटा हैं। नजीर एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं।

पद संख्या 1 में वर्णीत खण्ड ख के तहत वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का गैर मुमकिन चाह में से 1/8 के तहत 1/8 मे से ही 1/5 हिस्सा प्रत्येक का हैं।

पैरा संख्या 1ग में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्त कार के रूप में गैर मुमकिन चाह में दर्शाया गया है। पैरा संख्या 1 में जमाबन्दी सन्वत 2065-2068 के अनुसार वादीगण को व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/5 के हिस्से में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्शा रख है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 दुला के वारीसान नही होकर लाल के वारीसान हैं। तथा दुला के वारीसान के रूप में प्रतिवादी संख्या 53 53 मे दर्शाया गया है। पद संख्या 1 के अनुसार खण्ड ग में गफ्फुर वल्द खुमा व राजु, मितु, पिसरान बख्तावर के रूप में दर्शाया गया हैं जिसके अनुसार गफ्फुर ना ओलाद मरने के साथ उसकी बेवा का भी इन्तकाल हो चुका है। राजु पुत्र बख्तावर भी नाओलाद होकर उसकी विधवा पत्नी का भी देहान्त हो चुका है। इस जमाबन्दी में नजीर पुत्र लाल भी दर्शाया गया है। जो कि गलत हैं। लाल के नजीर के नाम से ही मोटा पुत्र है। नजीर व मोटा एक ही व्यक्ति हैं। वाद मे प्रतिवादी संख्या 66,67 राजस्थान सरकार के अधिकारी व कर्मचारी हैं।

अतः वादी का वाद न्यायालय में लम्बित होकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प बोरवा मे पेश हुआ। अतः वादीगणो ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण मे हम कोई कार्यवाही नही करवाना चाहते है। अतः प्रकरण में कार्यवाही बन्द की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हैं। निर्णय सुनाया गया।

()
पीठासीन अधिकारी